जुमलेबाजी से नहीं बन जाते सैनिक स्कूल

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह जुमलों से हवाई किले बनाने में माहिर हो चुके हैं। राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज 'खोल चुकने' के बाद वे अब हर जिले में सैनिक स्कूल खोलेंगे। प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और मॉडल संस्कृति स्कूलों की खराब हालत तो खट्टर से सम्हल नहीं रही है और उन्होंने हर जिले में सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा कर दी, वह भी पीपीपी मॉडल पर। लगता है जैसे मोदी ने फौज में ठेके के अग्निवीर भरने की योजना चलाई है उसी तरह खट्टर भी ठेके के सैनिक स्कूलों में अग्निवीर तैयार करेंगे।

खट्टर जानते हैं कि जुबान चलाने में कुछ खर्च तो होता नहीं है, हां, भाड़े की भीड़ और चापलूसों की तालियां जरूर मिलती हैं। इन्ही तालियों की चाहत में उन्होंने करनाल के कुंजपुरा सैनिक स्कूल में जुमलेबाजी करते हुए हर जिले में सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा कर डाली। उनकी घोषणा जुमला ही है इस बात से समझा जा सकता है कि वह 1970 से लंबित झज्जर का सैनिक स्कूल तो बनवा नहीं पाए, आज तक उसकी नींव का पत्थर भी नहीं रखा जा सका है। 1970 से बनता आ रहा 'झज्जर का सैनिक स्कूल तो बन ही चुका है बेशक वो ढूंढे से कहीं मिलता नहीं, वो अलग बात है, ऐसे ही लाजवाब स्कूल बाकी जिलों में भी बन कर तैयार हो जाएंगे'।

बताते चलें कि शिक्षा संविधान की सातवीं अनुसूचि की समवर्ती सूची का विषय है। इसके तहत राज्य सरकारें अपने भी स्कूलों का संचालन करती हैं। इसके तहत केंद्र सरकार सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय चलाती है।

सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं। इनमें शिक्षा व्यवस्था रेजिडेंशियल होती है न कि डे बोर्डिंग, यानी इसमें दाखिला लेने वाले विद्यार्थी इसी विद्यालय स्थित हॉस्टल में ही रहते हैं। सामान्य विद्यार्थियों की तरह

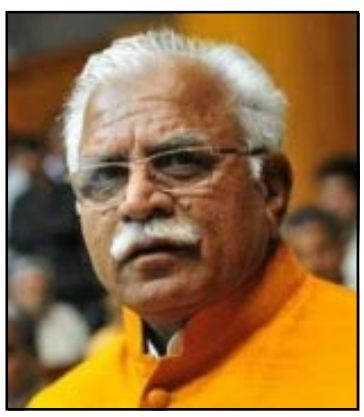

ही इन्हें भी कक्षा पांच से 12 तक सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, इसके अतिरिक्त उन्हें एनसीसी ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से दी जाती है, उच्च कक्षाओं में उन्हें हथियारों की हल्की फुल्की जानकारी देने के साथ उन्हें सैन्य कॅरियर अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। खास बात यह कि सैनिक स्कूलों में सारे मानक कठोरता से लागू किए जाते हैं चाहे वह विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हो, विद्यार्थियों का भोजन, हर प्रकार के स्टाफ की उपलब्धता सब मानक के अनुरूप होता है। सैनिक विद्यालय का प्रबंधन और संचालन आसान नहीं है इसीलिए प्रत्येक राज्य में ये गिने चुने स्कूल ही होते हैं।

सवाल है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर यदि ये सैनिक स्कूल खोल भी दिए गए तो रक्षा मंत्रालय का इनमें क्या रोल होगा खट्टर जी को इसका कोई ज्ञान नहीं है। दूसरे सैनिक स्कूल से पासआउट अधिकतर छात्र सेना में अधिकारी रैंक में भर्ती होते हैं लेकिन खट्टर उन्हें ठेका सैनिक यानी अग्निवीर बनाने पर उतारू हैं। इन स्कूलों से पासआउट हुए अनेकों छात्र वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वर्तमान में भी सेना की कमान संभालने वालों में शामिल हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सैनिक स्कूल की देन हैं।

सैनिक स्कूलों पर बात करने के साथ ही प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर देख लें। प्रदेश में 2304 सीनियर सेकेंडरी, 1027 हाई स्कूल, 2122 मिडिल स्कूल और4184 प्राइमरी स्कूल हैं। अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री खट्टर ने खुद स्वीकार किया था कि इन स्कूलों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों में से लगभग 30 हजार पद खाली हैं। हालांकि उन्होंने इन खाली पदों को अनावश्यक करार देते हुए बताया था कि प्रदेश में 80 हजार शिक्षक हैं और केवल 15 हजार अतिरिक्त शिक्षक और चाहिए। संभवता खट्टर भी मोदी की तरह ही उच्च शिक्षा प्राप्त हैं तभी उन्हें शिक्षकों के खाली पड़े 30 हजार पद अनावश्यक प्रतीत हुए। उनकी ही मानें तो 15 हजार शिक्षकों की आवश्यकता है लेकिन अभी तक उनकी भी भर्ती नहीं हो पाई है।

खट्टर ने मॉडल संस्कृति सीनियर सेंकेंडरी स्कूलों का भी ढिंढोरा पीटा था। एनआईटी तीन स्थित माडॅल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का उदाहरण प्रस्तुत है यहां टीजीटी- पीजीटी शिक्षकों के 42 पद स्वीकृत हैं इनके सापेक्ष केवल 19 शिक्षक ही कार्यरत हैं। इस मॉडल स्कूल में सामाजिक विज्ञान जैसा महत्वपूर्ण विषय पढ़ाने के लिए एक भी टीचर नहीं है जबकि तीन होने चाहिए। टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी ड्राइंग के टीचर हैं ही नहीं। एनआईटी तीन स्थित मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ही तरह अन्य मॉडल स्कूलों की हालत भी कमोबेश ऐसी ही है। समझा जा सकता है कि खट्टर के ढिंढोरे वाले मॉडल स्कूल की यह दुर्दशा है तो सामान्य सरकारी विद्यालयों के क्या हाल होगा। बड़खल स्थित सरकारी विद्यालय में पांच सौ विद्यार्थियों पर महज दो शिक्षक हैं।

खट्टर की मॉडल सरकार में केवल शिक्षकों की ही कमी नहीं है सरकारी स्कूलों की इमारतें भी जर्जर हो चुकी हैं। शिक्षा विभाग की दो साल पुरानी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 942 सरकारी स्कूलों के 4230 से अधिक कमरे कंडम हो चुके हैं यानी प्रत्येक स्कूल में औसतन चार से पांच कमरे जर्जर हैं। सरकार इन्हें बनवाना तो दूर अधिकतर को तुड़वा भी नहीं पाई है। हालात ये हैं कि सोहना में राष्ट्रपति के गोद लिए गांव दोहला के सरकारी स्कूल में 23 जुलाई 2023 को कक्षा की जर्जर छत गिर पड़ी थी। इस स्कूल की इमारत को कई साल पहले कंडम घोषित किया जा चुका था लेकिन न शिक्षा विभाग और न ही मुख्यमंत्री को इन्हें गिरवा कर दोबारा बनवाने की सुध आई।

बाल्मीकि को नौकरी से निकाला, सवर्णों को सफाई कर्मचारी बनाया

पीड़ित देवेंदर

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। भ्रष्टाचार में डूबे नगर निगम के अधिकारियों ने स्थायी भर्ती किए गए बाल्मीकि जाति के सफाई कर्मचारी 35 वर्षीय देवेंदर को नौकरी के चार साल बाद बिना नोटिस के निकाल दिया। बाल्मीकि और हरिजन जाति के लिए आरक्षित सफाई कर्मचारियों के पद पर ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, गूजर, मुसलमान जाति के कर्मचारी बड़ी संख्या में भर दिए गए। नगर निगम अधिकारी और नगर पालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने अपने करीबियों और रिश्तेदारों को नौकरी दिला दी और पात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बाल्मीकि और हरिजन जाति के कर्मचारी नौकरी के लिए भटक रहे हैं।

देवेंदर के अनुसार वर्ष 1996 में पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। सफाई न होने से महामारी फैली तो सरकार ने सफाई कर्मचारियों की खुली भर्ती निकाली। जनवरी 1997 में 547 स्थायी सफाई कर्मचारी भर्ती किए गए। इनमें देवेंदर भी शामिल थे। भर्ती की शर्तों में हरिजन या वाल्मीकि जाति का प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य था। देवेंदर के अनुसार 547 सफाई कर्मचारियों में बहुत सारे कर्मचारी गैर बाल्मीकि, गैर हरिजन जाति के भरे गए थे, इन लोगों ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र लगा कर नौकरी हासिल की।

नगर निगम ने वर्ष 2001 में इन सभी कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए काम से निकाल दिया। जबकि छंटनी के लिए न तो सरकार और न ही कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया था। देवेंदर कहते हैं कि निगम ने निकाले गए सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के मुआवजे के रूप में 5865 रुपये का चेक भी दिया था। निगम के इस निर्णय के विरुद्ध 16 सवर्ण कर्मचारी हाईकोर्ट से स्टे ले आए, इसलिए उन्हें नौकरी से नहीं निकाला गया। 2005 में इनका स्टे भी खारिज हो गया, इसके विरुद्ध इन कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अपील की लेकिन वह भी खारिज हो गई। आरोप है कि रिश्तेदार और करीबी होने के कारण अधिकारियों ने इन 16 कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला, कई कमिश्नर आए और उनके संज्ञान मे फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर सफाई कर्मचारी की नौकरी देने का मामला आया लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये सभी आज तक काम कर रहे हैं।

सफाई कर्मी का चोला पहने इन 16 कर्मचारियों ने कभी सफाई का काम भी नहीं किया, किसी को पत्र वाहक का काम दिया गया है तो कोई अधिकारियों के दफ्तर में लगा है, यानी राजा बाबू की तरह काम कर रहे हैं और निगम सफाई कर्मियों की कमी से जूझ रहा है। सफाईकर्मी के पद पर भर्ती हुए इन सवर्णों को भी झाड़ू-पंजा थमा कर सड़कों की सफाई, ट्रकों में कूड़ा भरने, कूड़े के कंटेनर खाली करने, चोक नाली खोलने आदि जैसे सफाई के ही काम में लगाया जाना चाहिए।

निकाले गए कर्मचारियों ने नगर निगम के अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध प्रशासन से लेकर सरकार तक हर जगह गुहार लगाई लेकिन उनकी बहाली नहीं हुई। न्याय न मिलता देख 2011 में देवेंदर ने आमरण अनशन का निर्णय लिया और नगर निगम के गेट पर धरने पर बैठ गए। इस पर दिल्ली से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की टीम उनसे मिली और निगम अधिकारियों से बात के बाद देवेंदर को दस दिन में नौकरी दिलाने आश्वासन देकर अनशन तुड़वाया। इसके बाद निगम ने बर्खास्त किए गए 531 सफाई कर्मियों में से 526 को तो दोबारा नौकरी पर ले लिया लेकिन देवेंदर सहित छह अन्य को नौकरी नहीं दी।

इसके लिए निगम अधिकारियों ने बहाना बनाया कि देवेंदर ने 5865 रुपये की मुआवजा राशि स्वीकार कर ली थी। यह मुआवजा राशि तो अन्य सभी सफाई कर्मचारियों ने भी ली थी लेकिन 2012 में उन लोगों को बहाल कर दिया गया। देवेंदर कहते हैं कि बहाल तो उन्हें भी किया गया, ज्वाइनिंग भी कराई गई लेकिन आज तक काम या वेतन नहीं दिया गया। उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने जुलाई 2023 में निगमायुक्त को देवेंदर की नौकरी के संबंध में एक महीने में निर्णय लेकर कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया था लेकिन निगमायुक्त ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर उन्होंने न्यायालिका की अवहेलना की याचिका भी दायर की है जिसकी सुनवाई मार्च 2024 में होनी है। देवेंदर कहते हैं कि यह सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं हैं उनकी तरह नौकरी से वंचित किए गए पात्र कर्मचारियों को न्याय दिलाने और अपात्रों सवर्णों को नौकरी से हटाए जाने की लड़ाई है।

मंत्री बने बिना बेचारी सीमा त्रिखा क्या करे

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। बड़खल विधायक सीमा त्रिखा को मंत्री बनने की बड़ी लालसा है वह बनना तो मंत्री चाहती हैं लेकिन अपने क्षेत्र के लिए उनकी क्या कारगुजारी है यह जानना जरूरी है। वह अपने क्षेत्र के प्रति, उसके विकास के प्रति गंभीर हैं, उन्होंने क्या किया और क्या करती हैं इसका लेखाजोखा देखना जरूरी है।

मज़दूर मोर्चा संवाददाता ने सीमा त्रिखा से उनसे उनके विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों की दुर्दशा और शिक्षकों की घोर कमी पर सवाल किया। उन्हें बताया कि बड़खल के एक विद्यालय में पांच सौ छात्रों पर महज दो शिक्षक हैं, ऐसे में वह अपनी विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए क्या करेंगी।

उन्होंने बड़ी मासूमियत और बेचारगी से जवाब दिया कि मैं क्या करूं मैं तो शिक्षामंत्री नहीं हूं। बड़ी अजीब बात है कि अगर आप शिक्षामंत्री होंगी तभी आप अपने क्षेत्र के स्कूलों को देखेंगी अन्यथा नहीं? शिक्षामंत्री कंवरपाल गूजर न तो कांग्रेस के हैं न आम आदमी पार्टी के या पाकिस्तान से आए हैं। वह हैं तो आपकी ही सत्ताधारी भाजपा के, और आपके समर्थन से ही शिक्षामंत्री हैं। अब अगर आपके ही शिक्षामंत्री काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आपको उनसे अपने क्षेत्र के स्कूलों की दुर्दशा पर बात नहीं करनी चाहिए?

आपने कभी अपने क्षेत्र के स्कूलों के हालात जाने हों तभी तो शिक्षामंत्री को बताएंगी। आपके विधानसभा क्षेत्र में छोटे बड़े सौ से

ज्यादा स्कूल हैं नौ साल के कार्यकाल में आपने इनमें झांकने की कोशिश भी की क्या? सही है, कि आप शिक्षामंत्री नहीं हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री से सवाल नहीं कर सकतीं, उनसे विद्यालयों की दशा सुधारने, स्टाफ देने को नहीं कह सकतीं। हां, आप किसी को हटाने, लगाने या ट्रांसफर करने की सिफारिशें तो कर देंगी, इसके लिए आपका कोई मंत्री होना जरूरी नहीं है लेकिन अजीब बात है कि अपने क्षेत्र की शिक्षा की दशा सुधारने के लिए आपका शिक्षामंत्री बनना बहुत जरूरी है।

आप शहरी स्थानीय निकाय विकास मंत्री भी नहीं है, शायद इसीलिए आप टूटी सड़कें, चोक नाले-नालियों, जगह-जगह लगे कूड़े ढेर, अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निगम अधिकारियों से नहीं कहतीं, इसके लिए भी पहले आपको इस विभाग का मंत्री बनना होगा।

आपकी विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले सीएचसी, पीएचसी, यूएचसी, डिस्पेंसरी और बीके अस्पताल में भी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब है। बीके में मरीजों की जांच नहीं हो पाती, पर्याप्त दवाएं और इलाज भी मुहैया नहीं हो पा रहा। वार्डों में गंदगी रहती है, टीबी के मरीज भी दवाएं नहीं मिलने से परेशान घूम रहें हैं। सीएचसी-पीएचसी-यूएचसी तो नाम को चल रही हैं क्योंकि इनमें सेवाएं देने के लिए न तो पर्याप्त चिकित्सक हैं, न पैरामेडिकल स्टाफ, न जांच की व्यवस्था और न ही दवाएं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकतीं क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री तो हैं नहीं। अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए आपका स्वास्थ्य मंत्री होना जरूरी है।

आपके ही क्षेत्र में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देने में सक्षम ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है। आप यहां जब-तब पहुंच कर अपने और अपने अनुचरों के काम करवा लेती हैं, लेकिन कभी आपने इस मेडिकल कॉलेज की जरूरतों, समस्याओं के बारे में जानना जरूरी नहीं समझा। यहां स्टाफ की कितनी कमी है, कॉलेज-अस्पताल परिसर कितना छोटा पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए छात्रावास भी पर्याप्त नहीं है। यदि आप जरा भी संवेदनशील होतीं, अपनी ही पार्टी के केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव पर दबाव डालकर उन्हें समस्याओं के निदान के लिए मजबूर कर सकती थीं लेकिन आपने कभी कुछ करने की जरूरत नहीं समझी क्योंकि आपकी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि यह आपके संपन्न वर्ग के लिए न होकर केवल मजदूरों के लिए है।

आप तो केवल वही काम कर सकती हैं जिसका आपको मंत्री बनाया जाए अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाएंगी। विधायक महोदया, सच्चाई इसके उलट है, आप सब कुछ कर सकती हैं और करती भी हैं लेकिन वहां, जहां आपका अपना लाभ हो।

नगर निगम में अपने चहेतों का ठेका दिलाना हो, कहीं अवैध कब्जा करवाना हो, अवैध निर्माण करवाना हो, तब तो आप अधिकारियों से काम करवा लेती हैं। ईएसआई मेडिकल कॉलेज में वीआईपी ट्रीटमेंट लेना हो या बीके अस्पताल अथवा प्रशासन में, आप अपने और अपने लगुए भगुओं के सारे काम करवा लेंगी लेकिन आम जनता की आवाज नहीं उठा सकतीं, क्योंकि आप उस विभाग की मंत्री ही नहीं हैं।

ठीक है आप मंत्री नहीं हैं लेकिन जो मंत्री हैं वो आपकी ही सरकार में आपके सहयोगी हैं, आप खुद कुछ नहीं कर सकतीं तो कम से कम मंत्री से अपनी विधानसभा क्षेत्र की कमियों को दूर करने के लिए कह सकती हैं। आपकी ही विधानसभा में आम जनता पीने का पानी खरीदने को मजबूर है, गंदी, बजबजाती नालियों की सफाई नहीं होने से परेशान है लेकिन आपको इन लोगों की ओर देखने की फुर्सत ही नहीं है। आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सी कॉलोनियां, गलियां ऐसी हैं जहां आप आखिरी बार जनता से वोट मांगने पहुंची थीं, जीतने के बाद न तो कभी इन कॉलोनियों की ओर पलट कर देखा और न ही यहां रहने वालों की समस्याओं को देखने, समझने और उसे दूर करवाने में आपने रुचि दिखाई।

वैसे मंत्री तो आप पर्यटन विभाग की भी नहीं रहीं लेकिन नौ साल पहले आपने बड़खल झील को भरने की घोषणा की थी। करीब चालीस विशेषज्ञों की टीम ने सर्वे के बाद बिना खर्च के ही बड़खल झील को भरने की रिपोर्ट तैयार की थी। विशेषज्ञों ने झील की खुदाई कर उसकी ही मिट्टी बेच कर उसे पानी से लबालब करने की तरकीब बताई थी लेकिन इसमें कोई कमीशन नहीं बनता इसलिए उनकी स्कीम खारिज कर दी गई। आपने निगम के भ्रष्ट अधिकारियों से झील भरने का अप्रासंगिक और अवैज्ञानिक प्रोजेक्ट तैयार करवा दिया।

अब झील प्राकृतिक पानी के बजाय एसटीपी के सड़े हुए शोधित पानी से भरी जाएगी जिसमें लोग हाथ भी नहीं धो सकते। एसटीपी का पानी कितना शुद्ध होता है, ये आप जानती है। आप भले ही इसे कामयाबी मानें लेकिन इस असफल प्रोजेक्ट पर जनता खुश नहीं होगी। खैर, ये दिवाली मना लीजिए अगली दिवाली पर चुनाव हैं तब जनता ही तय करेगी कि उसको कैसा विधायक चाहिए, ऐसा जो काम कराने के लिए पहले मंत्री बनने का इंतजार करे या जो जनता के बीच पहुंच कर काम करवाए।